By Speed Post

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. JKM/1/2018/STGDH/SEHRMT/RU-I

Dated: 22/10/2018

To

The Commissioner,
East Delhi Municipal Corporation,
Plot No. 419, Udyog Sadan,
Patparganj Industrial Area,
Delhi – 110092.
Tel: 66667310.
Fax: 22165879.

Sub: Representation dated 02/07/2018 of Shri Jitender Kumar Meena, JE (Civil) (under suspension), R/o RZ – H – 780, Gali No. 13, Rajnagar Part-II, Palam Colony, New Delhi-77 regarding harassment on ST employees by the Deputy Commissioner and Executive Engineer (Building Department 1) Shahdara South Zone, EDMC, Delhi.

Sir,

I am directed to refer to the subject cited above and to enclose a copy of the minutes of Sitting held on 03.10.2018 at 2:00 P.M. under the Chairmanship of Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes in the matter.

It is, requested that action taken on the suggestions / recommendations of the Commission may please be sent to the NCST at the earliest.

Yours faithfully,

(Rajeshwar Kumar)
सहायक निदेशक
Tel: 011-24641640.

Copy to:

Shri Jitender Kumar Meena,
House No. RZ – H – 780, Gali No. 13,
Rajnagar Part-II, Palam Colony,
New Delhi – 110077.
(Mob: 8377833826).

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Chairperson, NCST
2. NIC (for hosting on Commission's website)

<u>राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग</u>
<u>भारत सरकार</u>

सं. जेकेएम/1/2018/एसटीजीडीएच/एसईएचआरएमटी/आरयू–1

उपायुक्त, शाहदरा साउथ जोन, पूर्वी दिल्ली नगर–निगम एवं अधिशासी अभियंता (भवन विभाग–1) शाहदरा साउथ जोन द्वारा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को प्रताड़ित करने एवं सेवा से निलंबन करने से राहत दिलवाने के संबंध में श्री जितेंद्र कुमार मीना के अभ्यावेदन दिनांक 2.07.2018 के संबंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री नंदकुमार साय के समक्ष दिनांक 03.10.2018 को अपराह्न 02:00 बजे हुई सीटिंग का कार्यवृत्त।

सीटिंग में भाग लेने वालों की सूची – परिशिष्ट
सीटिंग की तिथि – 03.10.2018

श्री जितेंद्र कुमार मीना ने अपना अभ्यावेदन दिनांक– 02.07.2018 आयोग को प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने अवगत कराया कि वह राजस्थान राज्य के करौली जिले की तहसील–हिंड़ौन सिटी के गांव दानालपुर का मूल निवासी है तथा 20 फरवरी, 2018 को पूर्वी दिल्ली नगर–निगम के शाहदरा साउथ जोन के भवन विभाग–1 में कनिष्ठ अंभियता पद पर कार्यग्रहण किया था। कार्यग्रहण करने के बाद दिनांक–17.04.2018 को उन्हें तीन वार्ड़ों का चार्ज मिला। कुछ दिन बाद अधिशासी अभियंता श्री प्रेमवीर सिंह उन्हें अपने कमरे में बुलाकर भवन विभाग में होने वाली कार्यप्रणाली के बारे में नियमों के विपरीत समझाने लगा। अतः प्रत्यक्ष रूप से उनको रिश्वत देने के लिए दबाव डालने लगा जब उन्होंने विरोध किया तो धमकाया कि फंस जाओगे।

श्री जितेंद्र कुमार मीना ने अपने अभ्यावेदन में यह बताया कि उसके पोस्टींग क्षेत्र में प्रोपर्टी नं. डी.3, मुख्य रोड़ शास्त्री पार्क का निर्माण उसकी पोस्टींग से बहुत पहले ही हो चुका था जिसमें लोग पहले से ही रह रहे थे। उक्त प्रोपर्टी का मालिक एमसीडी के डिमोलीशन ऑर्डर के खिलाफ कोर्ट से स्टे ले आया था जिसकी एक प्रति उसको भी दी गई थी। यह बात उसने श्री प्रेमवीर सिंह, अधिशासी अभियंता के संज्ञान में भी ला दी थी, फिर भी उपायुक्त एवं अधिशासी अभियंता शाहदरा साउथ जोन ने उसके उपर आरोप लगाया कि कथित स्टे उनकी मिलीभगत से हुआ है। तत्पश्चात दिनांक 07.06.2018 को उन्हें सेवा से निलंबित कर दिया गया जिसके लिए कारण बताया गया कि कैलाश नगर की दो बिल्डिंग्स पर कार्रवाई नहीं कर पाने के कारण उन्हें निलंबित किया है। अभ्यावेदक ने उक्त मामले में न्याय के लिए आयोग से अनुरोध किया है।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

श्री जितेंद्र कुमार मीना के अभ्यावेदन पर आवश्यक कार्रवाई कर रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए आयोग की ओर से आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर–निगम को पत्र दिनांक 16.07.2018 भेजा गया। उसके पश्चात अनुस्मरण पत्र दिनांक 16.08.2018 भेजा गया। आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर–निगम द्वारा आयोग के उक्त पत्रों के संदर्भ में कोई सूचना एवं की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट आयोग को नहीं भेजी गई, जिस पर आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉ नंदकुमार साय द्वारा आयुक्त, पूर्व दिल्ली नगर–निगम के साथ दिनांक 03.10.2018 को अपराह्न 2:00 बजे सीटिंग रखी गई तद्नुसार आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर–निगम को सीटिंग नोटिस जारी किया गया।

मामले पर अतिरिक्त आयुक्त –1, पूर्वी दिल्ली नगर–निगम एवं श्री प्रेमवीर सिंह, अधिशासी अभियंता, भवन–1 शाहदरा साउथ जोन दिनांक 03.10.2018 को आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। अभ्यावेदक श्री जितेंद्र मीना भी उक्त सीटिंग में उपस्थित हुए। मामले पर विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष ने अभ्यावेदक को उनकी शिकायत के बारे में पूछा, जिस पर अभ्यावेदक ने आयोग को अवगत कराया कि उनको श्री प्रेमवीर अधिशासी अभियंता, भवन–1, शाहदरा साउथ जोन पूर्वी दिल्ली नगर–निगम द्वारा उनके क्षेत्र में हो रहे अवैध भवन निर्माण पर आवश्यक एवं उचित दिशा–निर्देश न देकर अप्रत्यक्ष रूप से उनको रिश्वत देने के लिए उकसाया। उनके द्वारा मना करने पर उन्हें फंसाने की धमकी दी गई और अंततः इसी षडयंत्र की प्रक्रिया में उनको दिनांक 07.06.2018 को सेवा से निलंबित कर दिया गया। अभ्यावेदक ने आयोग को अनुरोध किया कि उसको न्याय दिलाया जाए क्योंकि उनके साथ हुए उत्पीड़न के लिए उक्त अधिकारीगण जिम्मेवार है।

आयोग के माननीय अध्यक्ष ने अतिरिक्त आयुक्त–1, पूर्वी दिल्ली नगर–निगम ने श्री जितेंद्र कुमार मीना के मामले पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा, जिस पर अतिरिक्त आयुक्त ने आयोग को सूचित किया कि श्री जितेंद्र कुमार मीना को पूर्वी दिल्ली नगर–निगम के कार्यालय आदेश दिनांक 26.09.2018 के द्वारा कनिष्ठ अभियंता पद पर बहाल कर दिया गया है। जिसके लिए वह अपनी अग्रिम पोस्टिंग के लिए एडीसी (इंजीनियरिंग,) पूर्वी दिल्ली नगर–निगम को रिपोर्ट करेंगे। अतिरिक्त आयुक्त ने कहा कि श्री जितेंद्र मीना के मामले में शीघ्र ही जांच कार्रवाई की जाएगी।

प्रकरण में दोनों पक्षों से सुनने के उपरांत आयोग ने पाया कि श्री जितेंद्र कुमार के साथी श्री प्रेमवीर सिंह अधिशासी अभियंता, भवन–1 शाहदरा साउथ जोन पूर्वी दिल्ली नगर–निगम और उपायुक्त श्री बी एम मिश्रा ने अपने स्वार्थ के लिए श्री जितेंद्र कुमार मीना के साथ उत्पीड़न व्यवहार कर सेवा से निलबिंत करवाया है

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

जिसके लिए वे जिम्मेवार है। अतिरिक्त आयुक्त–1, पूर्वी दिल्ली नगर–निगम ने श्री जितेंद्र कुमार मीना, कनिष्ठ अभियंता की बहाली का आदेश आयोग को प्रस्तुत किया जिसके लिए आयोग ने उनकी सराहना की, आगे इस प्रकरण में आयोग पूर्वी दिल्ली नगर–निगम को निम्नानुसार सलाह देता है कि:–

1. आयोग ने अतिरिक्त आयुक्त को सुझाव दिया कि जितेंद्र कुमार मीना के साथ सौहार्द्रपूर्ण व्यवहार किया जाए तथा समझा–बुझाकर स्थिति को सामान्य किया जाए, क्योंकि जितेंद्र कुमार मीना एक नए नवनियुक्त कर्मचारी है तथा कार्य आदि का उन्हें न तो प्रशिक्षण दिया गया है और न ही उन्हें कार्य आदि का अनुभव प्राप्त है।
2. श्री जितेंद्र कुमार मीना के खिलाफ की जाने वाली विभागीय जांच कार्रवाई में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव युक्त तरीका न अपनाया जाए।
3. श्री जितेंद्र कुमार मीना के खिलाफ की जाने वाली विभागीय जांच कार्रवाई में जांच अधिकारी के संज्ञान में यह सुनिश्चित रहे कि प्रभावित कर्मचारी अनुसूचित जनजाति वर्ग का है।
4. इसी विषय/मुद्दे से संबंधित उपायुक्त, शाहदरा साउथ जोन, पूर्वी दिल्ली नगर–निगम द्वारा श्री जितेंद्र कुमार मीना के पोस्टींग क्षेत्र में पिछले छह महीने में कितने वरिष्ठ अभियंता/कनिष्ठ अभियंतागण को उनके कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर निलंबित किया है की सत्यापित सूची आयोग को प्रस्तुत की जाए।
5. श्री जितेंदर कुमार मीणा के विरुद्ध भेद – भाव , उत्पीड़न तथा षडयंत्र रचने वाले दोनों अधिकारयों नामतः श्री प्रेम वीर सिंह अधिशाषी अभियंता तथा उपायुक्त श्री बी एम मिश्रा के विरुद्ध अनुसूचित जाति/जनजाति (उत्पीड़न) अधिनियम ,1989 तथा अन्य सुसंगत धाराओं में कठोर कार्यवाई की जाए ताकि कोई भी व्यक्ति भविष्य में भोले-भाले अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के प्रति दुर्भावना न रख सके ।
6. पूर्वी दिल्ली नगर–निगम द्वारा इस प्रकरण में की गई/की जाने वाली अनुपालनात्मक रिपोर्ट आयोग को 15 दिन के अंदर भिजवाने की व्यवस्था की जाए।

18.10.18

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi